न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 143/22 (वाद)
GCMS No. : 2022/371

1. श्री मोहित पिता जगजीवन नागदा निवासी चंदेसरा तह. मावली।
2. श्री रौनक पिता जगजीवन नागदा निवासी चंदेसरा तह. मावली।
3. श्री आदित्य पिता चन्द्र शेखर नागदा नाबालिग बवियात माता प्रमिला उर्फ सीमा नागदा निवासी चंदेसरा तह. मावली।
4. सुश्री आयुषी पुत्री चन्द्र शेखर नागदा निवासी चंदेसरा तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री जगजीवन पिता केसुलाल नागदा निवासी चंदेसरा तह. मावली।
2. श्री चन्द्रशेखर पिता केसुलाल नागदा निवासी चंदेसरा तह. मावली।
3. मैसर्स डबल टाइगर कार्बन प्रा.लि. रजिस्टर्ड ऑफिस पाठो की मगरी, सेवाश्रम चौराहा उदयपुर पार्टनर कैलाशचन्द्र पिता बालचन्द शर्मा निवासी 11 पाठों की मगरी सेवाश्रम उदयपुर।
4. मैसर्स डबल टाइगर कार्बन प्रा.लि. रजिस्टर्ड ऑफिस पाठों की मगरी, सेवाश्रम चौराहा उदयपुर पार्टनर मुरली मनोहर पिता महावीर प्रसाद बाकलीवाल निवासी 796 अरविन्द नगर रोड बी सुन्दरवास उदयपुर।
5. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का चंदेसरा तह. मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री दुर्गाशंकर मेनारिया, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 2
3. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 3, 4

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.
निर्णय

दिनांक : 04.08.2023

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चन्देसरा पटवार हल्का चन्देसरा की वादग्रस्त भूमि को वादीगण की पैतृक सम्पति होना बताकर भूमि में अपने हिस्से की घोषणा कराने का वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 3, 4 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने मौजा चन्देसरा पटवार हल्का चन्देसरा में स्थित आराजी नम्बर 4355/3322, 4356/3322, 4359/3324, 4361/3321, 4363/3326 कुल किता 5 रकबा 0.6475 हेक्टेयर भूमि व अन्य आराजीयात के सम्बन्ध में घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है जबकि उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में कृषि से अकृषि में सम्परिवर्तन होकर औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु दर्ज है जिसका अंकन वादी स्वयं ने अपने वाद की कलम नम्बर 6 में अंकित कर रखा हैं। ऐसी अवस्था में उक्त आराजीयात कृषि से अकृषि में सम्परिवर्तन हो चुकी हैं। इसलिए उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नही होकर सिविल न्यायालय को है इसलिए वादीगणों का वाद वादीगणों के वाद की प्लीडिंग के आधार पर ही बार्ड बाई लॉ हैं। इसलिए वादीगणों का वाद आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् खारिज होने योग्य हैं।

2. यह कि वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी सं. 1 व 2 से प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने जरिये विक्रय पत्र से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त किया है व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सहमति से विधिक बंटवाडा कराया गया हैं व विधिक बंटवाडा होने के बाद उक्त आराजीयात को कृषि से अकृषि में औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु सम्परिवर्तन करवा सम्परिवर्तन आदेश का पंजीयन विधिवत करवाया गया है ऐसी अवस्था में वादी कथित विक्रय पत्र, विधिक बंटवाडा व सम्परिवर्तन आदेश को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करा लेता तब तक उक्त आराजीयात में वादी को राजस्व न्यायालय से कानूनन कोई दाद प्राप्त नहीं हो सकती हैं। वादी का वाद राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का नहीं होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी सं. 3 व 4 का कथित प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए वादीगणों का वाद बार्ड बाई लॉ होने से इसी स्टेज पर सव्यय खारिज फरमाया जावें।
3. अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं करना चाहकर सीधे बहस सुनी जाने का निवेदन किया।
4. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर अप्रार्थी/वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा अपनी बहस में पैतृक सम्पति होना बताकर प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 3 व 4 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हमने दोनो पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने। प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है—**वादपत्र का नामंजूर किया जाना— वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ)जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादीगण द्वारा वाद खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया गया है। हमने वाद पत्र का अवलोकन किया। वाद पत्र के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रतिवादी सं. 1, 2 के पिता केसुलाल के नाम पर दर्ज थी जो विरासत से प्रतिवादी सं. 1, 2 व अन्य वारिसान के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हुई। उसके बाद प्रतिवादी सं. 1, 2 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि प्रतिवादी सं. 3, 4 को पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय की हैं। विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं. 3, 4 का नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदार की हैसियत से दर्ज हैं। वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात का बंटवाडा होकर प्रतिवादी सं. 3, 4 के नाम सम्परिवर्तन होकर दर्ज रेकार्ड हैं। अतः उक्त वादग्रस्त आराजीयात की किस्म अकृषि से औद्योगिक परिवर्तन होने से अकृषि भूमि से सम्बन्धित विवाद को सुनने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है अतः जब तक वादी विक्रय पत्र को निरस्त एवं अकृषि भूमि को कृषि भूमि सम्परिवर्तित नहीं करवा लेते, तब तक वादीगण इस न्यायालय से किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत [illegible] जाता है। अतः वादीगण का वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् आने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार योग्य पाया जाता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 3, 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 3, 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री मोहित पिता जगजीवन नागदा निवासी चंदेसरा तह. मावली।
2. श्री रौनक पिता जगजीवन नागदा निवासी चंदेसरा तह. मावली।
3. श्री आदित्य पिता चन्द्र शेखर नागदा नाबालिग बवियात माता प्रमिला उर्फ सीमा नागदा निवासी चंदेसरा तह. मावली।
4. सुश्री आयुषी पुत्री चन्द्र शेखर नागदा निवासी चंदेसरा तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री जगजीवन पिता केसुलाल नागदा निवासी चंदेसरा तह. मावली।
2. श्री चन्द्रशेखर पिता केसुलाल नागदा निवासी चंदेसरा तह. मावली।
3. मैसर्स डबल टाइगर कार्बन प्रा.लि. रजिस्टर्ड ऑफिस पाठो की मगरी, सेवाश्रम चौराहा उदयपुर पार्टनर कैलाशचन्द्र पिता बालचन्द शर्मा निवासी 11 पाठों की मगरी सेवाश्रम उदयपुर।
4. मैसर्स डबल टाइगर कार्बन प्रा.लि. रजिस्टर्ड ऑफिस पाठों की मगरी, सेवाश्रम चौराहा उदयपुर पार्टनर मुरली मनोहर पिता महावीर प्रसाद बाकलीवाल निवासी 796 अरविन्द नगर रोड बी सुन्दरवास उदयपुर।
5. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का चंदेसरा तह. मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 143/22 (वाद) GCMS No. : 2022/371

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 3, 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा. दी. का स्वीकार किया जाने से वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 04.08.2023 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:39:52 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली